

प्रेषक,

नूतन द्विवेदी

सिविल जज (सी०डि०),

जनपद गाजीपुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,

जनपद गाजीपुर।

**विषय:- माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 247 / Admin.(Services)/2024, dated**

**Allahabad April 25, 2024 के अनुक्रम में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में -**

महोदय,

सविनय निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन सं०-2539 / Admin.(Services)/2023, dated 18.11.2023 के अनुसार मेरा स्थानान्तरण मध्यान्तर में ही जनपद गाजियाबाद से जनपद गाजीपुर हो गया। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा जनपद गाजीपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गाजीपुर का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में प्रार्थिनी सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गाजीपुर के पद पर कार्यरत है तथा अपने पदीय कर्तव्यों का पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निर्वहन करती आ रही है।

माननीय महोदय को सादर अवगत कराना है कि मुझे गर्भाशय में Adenomyosis नामक बीमारी पिछले कई वर्षों से थी जो गम्भीर रूप में Endometriosis में परिवर्तित हो गई। जनपद गाजियाबाद में नियुक्ति के दौरान मैंने इसका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (एम्स) में कराया। इलाज के दौरान मुझे आपरेशन की सलाह दी गई और सलाह के अनुरूप मेरा एक आपरेशन माह मार्च में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली (एम्स) में कराया गया। परन्तु मेरी स्थिति में सुधार न होने पर मेरे द्वारा सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में डा० माला श्रीवास्तव व डॉ० राहुल मोदी से परामर्श लिया गया। चिकित्सक द्वारा मेरी बीमारी की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.09.2023 को मेरा एक आपरेशन सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में किया गया और इसके पश्चात लगातार मैं चिकित्सक की सलाह के अनुरूप अपनी जांच व परीक्षण कराती रही, परन्तु मेरी बीमारी में कोई सुधार न होने के कारण तथा बीमारी की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सक द्वारा मुझे पुनः माह दिसम्बर 2023 में आपरेशन कराने की सलाह दी गयी, परन्तु इसी दौरान माह नवम्बर में दिनांक 18.11.2023 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम मेरा स्थानान्तरण जनपद गाजियाबाद से जनपद गाजीपुर हो गया।

स्थानान्तरण के पश्चात दिल्ली से चल रहे इलाज को मैं लगातार जारी रख पाने में असमर्थ थी, इसलिए मुझे अर्जित अवकाश पर रहकर अपना इलाज करवाना पड़ा। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मेरा आपरेशन अविलम्ब होना आवश्यक था, इसलिए

मेरे द्वारा माह जनवरी में चिकित्सीय अवकाश लिया गया और दिनांक 03.01.2024 को मेरा आपरेशन सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में किया गया। जिसके पश्चात चिकित्सक के सलाह और समय पर चिकित्सीय परीक्षण कराने हेतु चिकित्सीय अवकाश पर रहते हुए मैंने लगभग दो माह तक अपना इलाज दिल्ली से कराया। चिकित्सीय अवकाश के पश्चात माह मार्च में मेरे द्वारा सिविल जज (सीनियर डिवीजन), गाजीपुर का पदभार ग्रहण कर लिया गया है और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है।

प्रार्थिनी के आपरेशन के पश्चात डॉक्टर की लगातार परामर्श व सलाह के अनुरूप प्रार्थिनी का इलाज वर्तमान में भी सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली से जारी है जिसके लिए प्रार्थिनी को प्रत्येक दो माह पर अनिवार्य रूप से अथवा किसी आकस्मिक शारीरिक स्थिति की दशा में आवश्यकता के अनुरूप मुझे सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली जाना पड़ता है। चिकित्सक के परामर्श के अनुसार मेरे आपरेशन के पश्चात मुझे लगातार कम से कम 3 वर्षों तक नियमित रूप से बिना रूकावट अपना शारीरिक परीक्षण कराते रहना व चिकित्सक की सलाह लेते रहना अनिवार्य है। प्रार्थिनी को जनपद गाजीपुर में रहकर स्वयं का इलाज दिल्ली से करा पाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पति श्री रोहित द्विवेदी जनपद सीतापुर में चकबन्दी विभाग में कार्यरत हैं। मेरी एक आठ वर्षीय पुत्री आद्या द्विवेदी जो कि मेरे साथ ही रहती है जिसके पालन पोषण की समस्त जिम्मेदारी मुझपर ही है। नियमित रूप से चिकित्सीय अवलोकन हेतु दिल्ली जाने पर मेरी पुत्री को मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाना पड़ता है जिस कारण मेरी पुत्री की पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित होती है। जनपद गाजियाबाद में रहते हुए मैं अपना इलाज आसानी से करा पा रही थी परन्तु जनपद गाजीपुर से अपना इलाज दिल्ली से नियमित रूप से जारी रख पाना अत्यन्त कठिन हो रहा है।

चिकित्सीय सलाह के अनुरूप यदि मेरा इलाज अधूरा रह जाता है तो सम्भाव्य है कि मेरी बीमारी गम्भीर रूप धारण कर सकती है, जिसका दुष्प्रभाव मेरे परिवार व मेरी बेटी के भविष्य पर पड़ सकता है। प्रार्थिनी का स्थानान्तरण यदि दिल्ली के आस-पास के किसी भी जनपद में हो जाता है तो प्रार्थिनी बिना किसी रूकावट के अपना इलाज नियमित रूप से करवा सकेगी और अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन भी कर सकेगी।

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त विषयक के अनुक्रम में मेरा यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष ई-पोर्टल द्वारा प्रेषित किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरी बीमारी व चल रहे इलाज तथा मेरी पारिवारिक जिम्मेदारियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा स्थानान्तरण दिल्ली के आस-पास के किसी भी जनपद में करवाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मेरा यह आवेदन मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करने की कृपा करें ताकि प्रार्थिनी अपना समुचित उपचार बिना किसी रूकावट के सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली से जारी रख सके।

सादर।

दिनांक 17.05.2024

भवदीय

संलग्नक- यथोक्त।

नूतन द्विवेदी  
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),  
जनपद-गाजीपुर